उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

7

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-7/JU/2024 दिनांक 11.06.24

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी

मंडल संरक्षा परिपत्र - 07/2024

विषय :- मानसून के दौरान बरती जाने वाली सावधानिया

[अभियांत्रिक विभाग-]

(i) वरिष्ठ मंडल इजी (समन्वय) व सम्बन्धित वरिष्ठ मंडल इजी /म इंजी द्वारा कमजोर स्थल व मानसून पैट्रोलिंग के लिए निर्धारित खण्ड की जारी की गयी लिस्ट परिचालन विभाग के अधिकारी, इंजी. विभाग के अधिकारी तथा सम्बन्धित अधीनस्थ सुपरवाइजरों को भिजवायें।

(ii) गश्त चार्ट सर्व सम्बन्धित स्टेशन, लॉबी, गैंग जमादार अधीनस्थ सुपरवाईजर एवम अधिकारी इत्यादि के पास उपलब्ध होना सुनिश्चित करें। गश्त चार्ट के अनुसार रेल पथ पर गश्त काप्रबन्ध होना सुनिश्चित करें।

(iii) वर्षा शुरू होते ही गैंग मैट द्वारा दिन व रात्रि में गशत स्वयं के द्वारा शुरू करना व पैट्रोलमैन को पास सभी उपकरणों का होना तथा कमजोर स्थानों पर पैट्रोलमैन भेजना तुरुन्त सुनिश्चित करें।

(iv) गशत शुरू करने से पहले सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को सुचना देने के लिए पैट्रोलमैन द्वारा गशत पुस्तिका पर स्टेशन मास्टर हस्ताक्षर प्राप्त करना आवशयक है।

(V) प्रत्येक सम्बन्धित मेट व पैट्रोलमैन को गश्त चार्ट की जानकारी होना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक मेट, पैट्रोलमैन के ड्यूटी पर समय से पहुंचने तथा नियमानुसार ड्यूटी करना सुनिश्चित करें

(vi) कमजोर स्थलों पर चमकीले 300 एम एम उचे अक्षरो से एवं लिखे हुये Board का कमजोर
स्थल से 800 मीटर की दूरी पर दोनो ओर लगे होना सुनिश्चित करें।

(vii) एक ब्लॉक खंड को एक गशत युनिट माना जाये। पैट्रोलमैन एवम मेट के पास तेज आधी तूफान, एवं चक्रवात इत्यादि की सूचना समय से पहले पहुँचाना सुनिश्चित करें।

(vii) सम्बन्धित कर्मचारियों को RAW, RAT व ऐसा RUB जिस पर एक भी मानसून नहीं गुजरा हो की लिस्ट देना सुनिश्चित करें और RUB पर चेतावनी बोर्ड लगाये कि अगर RUB में अधिक पानी है तो सड़क उपयोगकर्ता RUB में प्रवेश न करें।

(ix) पैट्रोलमैन को यह काउन्सिल किया जाये कि वह गशत की दिशा में तब तक आगे बढ़ता रहे जब तक कि दूसरी ओर से आने वाला पैट्रोलमैन उसे नहीं मिल जाये तथा इस आशय की पुष्टि यह गश्ती पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करके करेगा।

(x) कमजोर स्थलों/कमजोर पुलिया पर मोबाइल/स्थायी पेट्रोलमैन /वाचमैन लगाना एवं निम्न का होना भी सुनिश्चित करें।

(क) कमजोर स्थलों / कमजोर पुलियो का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा बरसात आने के पहले होना सुनिश्चित करें।

(ख) लाइन पर कटिंग व शार्प कर्य, जहाँ दृष्यता बाधित हो यहां पैट्रोलमैन के लिए नियत स्थान पर प्रेक्षण चौकिया अवश्य बनायें व नियत स्थानों पर ट्रोली आश्रय बनायें तथा उनके संकेत बोर्ड लगावें।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) खंड के सहायक मंडल इंजीनियर के पास JCB तथा RUB से पानी निकालने हेतु पम्प इत्यादि की व्यवस्था होना सुनिश्चित करें

(xi) मुख्य ट्रेक इंजीनियर उ.प.रेलवे के पत्र स. W/432/1/Vol-III दिनाक 28.06.2021 में दी गई वर्षा ऋतु सम्बन्धी सावधानियों की पालना सुनिश्वित की जाये।

(xii) मुख्य सिगनल इजीनियर उ.प. रेलवे के पत्र स SG/209/1/Drive-5/2021 दिनांक 21.04.2021 में दी गई वर्षा ऋतु सम्बन्धी सावधानियों की पालना सुनिश्चित की जाये।

(xiii) प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर उ.प. रेलवे के पत्र सNWRHQ-ELCT(TRY51/2020 दिनाक 11.02.2021 में दी गई वर्षा ऋतु सम्बन्धी सावधानियों की पालना सुनिश्चित की जाये

स्टेशन मास्टर-

(1) यदि गश्ती कर्मचारी जिसे स्टेशन पर उपस्थित होना है यह नियत समय पर वहां नहीं पहुचे या बिल्कुल ही ना आये तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा।

(क) स्टेशन मास्टर द्वारा गाडी को सतर्क करने और दिन में जब दृष्यता साफ होती हैं 40 कि मी प्र.च. एवं रात्रि में / जब दृष्यता साफ न हो तब 15 कि.मी प्र.ध. गति प्रतिवन्ध का पालन करने के लिए सतर्कता आदेश देने के बाद ही ब्लॉक खंड में गाडी जाने की अनुमति देंगे। (ख) दुसरी और के स्टेशन मास्टर को भी इसी प्रकार समान कार्यवाही करने के लिये सूचित करना सुनिश्चित करें।

(ग) पैट्रोलमैन के न आने के कारण का पता लगाने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ करें।

(घ) सतर्कता आदेश जब तक निरन्तर जारी करेगें जब तक पैट्रोलमैन पहुँच नहीं जाता है और वह यह सुनिश्चित नहीं कर देता है कि गाडी गुजरने के लिये लाइन संरक्षित है।

जब मौसम विभाग से चक्रवात आधी या तेज हवा एवं बरसात की पूर्व सूचना देने वाला चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ हो और/या इस बात का पयति सदेह हो कि तेज आधी आने की सम्भावना है तो इसकी सूचना सम्बन्धित खंड के मेट व अधीनस्थ सुपरवाईजरों को देगा। तेज आधी, चक्रवात इत्यादि का संदेह होने पर जिससे गाडियो की संरक्षा को खतरा हो. स्टेशन मास्टर गाडी के गार्ड एवं लोको पायलट से विचार विमर्श करके गाडी को रोकेगा जब तक कि आधी का आना न रूके और वह गाडी के संचालन को सुरक्षित न समझे और अपने स्टेशन पर आने वाली गाडियों को लाइन क्लीयर देने से मना भी कर देगा।

गार्ड एवं लोको पायलेट

यदि चलती हुई गाजी के दौरान तेज चकवात आंधी या तेज हवा या बरसात में फंस जाती है जिससे गाड़ी की संरक्षा को खतरा होने की सम्भावना हो तो वह अपनी गाड़ी को तुरन्त नियंत्रित करेगा और उसे पहले पढने वाले सुविधाजनक स्थान पर खड़ी करेगा। यह स्थान ऐसे स्थानों में जैसे तीव्र गोलाई ऊचे कटबन्ध और पुलो या उनके पहुँच मार्गो में नहीं होना चाहिये। गार्ड से सलाह मशवरा करके गाडी की गति को नियंत्रित करने और उसे रोकने के लिये लोको पायलेट गाडी को बिना किसी झटके के सावधानी पूर्वक रोकेगा। इसी प्रकार बिना झटके के जब आधी चक्रवात या तेज हवा या बरसात रूक जाये और गाड़ी का सचालन सरक्षित समझे तब गाडी को आगे चलायेगा। गाडी रोकने के दौरान व तेज हवा या चक्रवात के समय गार्ड से सलाह मशवरा करके सहायक लोको पायलेट व गार्ड यात्रियों की सहायता से यात्री गाडी के खिडकी व दरवाजे खुलवायेगे जिससे हवा स्वतंत्र रूप से डिब्बो से पास हो सके।

समय-समय पर किये गये कार्य की सूचना गार्ड द्वारा खंड नियंत्रक व सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों को दी जायेगी।

सभी सर्व सम्बन्धित सहायक नियम 2.11 (1) (2) एवं उपर्युक्त दिये गये अपने कर्तव्यों की अनुपालना सुनिश्चित करेगें।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे.प्रबन्धक, अ.म.रे.प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ ।

Scanned with OKEN Scanner